

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार 6 सितम्बर, 2005/भाद्रपद 15, 1927 (शक)

संख्या-109

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित निम्नलिखित संदेश ए.सी.पी., कमला मार्केट, दिल्ली से प्राप्त हुआ है:-

मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य डॉ. हर्षवर्द्धन एवं श्री रमेश विधुड़ी को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत दिनांक 2.9.2005 को अप. 12.35 बजे भगत सिंह पार्क, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से 12.45 बजे रिहा कर दिया गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Tuesday 6th Sept. 2005/15 Bhadarpada 1927 (Saka)

No. 109

Sub: **DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from ACP, Kamla Market Delhi:

"I have the honour to inform you that Dr. Harshvardhan and Shri Ramesh Bidhuri Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi were detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 at Bhagat Singh Park New Delhi at 1235 hrs. on 2.9.2005.

They were released at 1245hrs from the same place on the same date."

124

SIDDHARATH RAO
Secretary